

कार्यालय अधीक्षण यंत्रि (परीक्षण एवं संचार)वृत्त
म. प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड नागदा
(पंजीकृत कार्यालय ब्लॉक नं.2 प्रथम तल शक्ति भवन रामपुर जबलपुर 482008)

क्रमांक / अधी.अभि / परी.संचार / स्था. / 30 /

नागदा / दिनांक: 20.09.2014

आदेश

मुख्य अभियंता(परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.जबलपुर के आदेश क्रमांक 04-04/पेनल-20 /2207-2208 दिनांक 12.09.2014 के परिपालन में निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सैनिकों को पदोन्नत करते हुए वेतन सँवर्ग ई-3, सादृश्य ग्रेड वेतन रूपये 2300/- प्रतिमाह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से मुख्य सुरक्षा सैनिक के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है।

स. क्रं.	कर्मचारी क्रमांक	कर्मचारी का पूरा नाम सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापना स्थल	पदोन्नति पर पदस्थापना स्थल
1	84522472	मनोहरलाल / हीरालाल शर्मा	परीक्षण सँभाग रतलाम	परीक्षण सँभाग रतलाम
2	84522225	ओमप्रकाश / बद्रीलाल नागर	परीक्षण सँभाग नीमच	परीक्षण सँभाग नीमच

01. उक्त आदेश पदोन्नती के पश्चात सेवाए पदस्थापना हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपने पश्चात जारी किया गया है।
02. मंडल के परिपत्र क्रमांक 01-05/58 दिनांक 29.04.89 सहपठित परिपत्र क्रमांक 01-05/1/93 दिनांक 18.07.89, क्रमांक 01-05/1/254/73 दिनांक 21.04.90, क्रमांक 01-13/1 दिनांक 09.01.95 एवं क्रमांक 01-13/3422/19 दिनांक 01.07.2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी।
03. म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (1994 का क्रमांक-2(1) में निहित प्रावधानों एवं म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 तथा तत्संबंध में प्रावधानित उक्त अधिनियम एवं नियमों के संबंध में म.प्र. भासन द्वारा जारी निर्देश जो कि मण्डल द्वारा परिपत्र क्रमांक 01-13/3434/1 दिनांक 05.01.2006 एवं परिपत्र क्रमांक 01-13/3434/5 दिनांक 20.02.2006 से ग्राह्य किया गया था, जिसे म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक अस/ म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि./1735 दिनांक 25.08.2005 सहपठित आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया जिसका अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम (पदोन्नति नियम) की धारा 6 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों को संज्ञान में लिया गया है।


 अधीक्षण यंत्रि (परीक्षण एवं संचार)
 म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड नागदा

प्रतिलिपी:-

01. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स:आई.टी.) / (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर।
02. मुख्य अभियंता (अ.उ.दा:निर्माण) / (अ.उ.दा:संधारण) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर।
03. कार्यपालन यंत्री (परीक्षण) संभाग म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रतलाम / नीमच।
04. कार्यपालन यंत्री (बेवमास्टर) कार्यालय मु.अ. (टी.एंड पी) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर।
05. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.पॉ.मे.क.लि.जबलपुर
06. कल्याण अधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर।
07. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इंदौर।
08. निज सचिव कार्यालय निदेशक(तकनीकी) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर।
09. श्री मनोहरलाल पिता श्री हीरालालजी शर्मा / श्री ओमप्रकाश / बट्टीलालजी नागर द्वारा कार्यपालन यंत्री (परीक्षण) संभाग म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रतलाम / नीमच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपरोक्त पदोन्नत वरिष्ठ सुरक्षा सैनिकों द्वारा पदस्थापना स्थल पर इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण किया जावे, अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाकर उन्हें प्रदत्त उच्च वेतनमान का लाभ उनके द्वारा दिये गये घोषणा-पत्र के आधार पर वापिस ले लिया जावेगा।

संबंधित वरिष्ठ सुरक्षा सैनिकों को आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/कारण बताओ सूचना पत्र/आरोप पत्र/(सिविल/आपराधिक) न्यायालयीन प्रकरण/लोकायुक्त प्रकरण इत्यादि लंबित नहीं है एवं वे किसी भी प्रकार की दण्डावधि में नहीं है। अन्यथा उक्त आदेश सम्पूर्ण विवरण व अभिलेखों की छायाप्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को वापिस किया जावे।

कार्यमुक्ति तथा वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की समेकित सूची इस कार्यालय को प्रेषित करें।

पदोन्नत कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना के बिना ही कार्यभार से मुक्त किया जावे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि मण्डल के परिपत्र क्रमांक 01-07/छै./एम./102 दिनांक 19.12.96 के प्रावधानों के अनुसार उनके जाति सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा जाति सत्यापन में उनके जाति प्रमाण पत्र नियमानुकूल पाये गये हैं। यदि प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है तो संबंधित कर्मचारी से मण्डल के परिपत्र क्रमांक 01-07/चार/11/दिनांक 06.03.1995 में संलग्न प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लेकर पदोन्नति पद पर प्रावधिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे। संबंधित कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकतम तीन माह में करा लिया जावे ताकि कर्मचारी का प्रावधिक (provisional) कार्यभार नियमित हो सके। समयसीमा में उक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी।

अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार)
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड नागदा